File no I-12011/187/2020-WPP Coord/553-55 dated 17/12/2020

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल आयोजन एवं परियोजनासमन्वय निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
WP&P COORDINATION DIRECTORATE

सेवा में

श्री विपिन कुमार पाण्डेय,
25/02 Civil Line,Naraini Road,
Atarra, Banda,Up Atarra
UP Pin 210201
(email-vipinpandeyatarra@gmail.com)

विषय: सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत श्री विपिन कुमार पाण्डेय, 25/02 Civil Line,Naraini Road, Atarra, Banda,Up Atarra UP Pin 210201 (email-vipinpandeyatarra@gmail.com)द्वारा प्रथम पुनरावेदन क्रमांक CWCND/A/E/20/00047दिनांक 10/12/2020

आवेदक का नाम : श्री विपिन कुमार पाण्डेय,
25/02 Civil Line,Naraini Road,
Atarra, Banda,Up Atarra
UP Pin 210201

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम: श्री अनंत गुप्ता,
निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध, केन्द्रीय जल आयोग, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक,सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली110066

पृष्ठभूमि

1. यह मामला प्रथम अपीलीय अधिकारी, जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय मे 09-10-2017 को प्राप्त श्री विपिन कुमार पाण्डेय से सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत प्रथम पुनरावेदन से संबन्धित है । सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत इससे संबन्धित दिनांक 04-01-2020 का आवेदन (CWCND/R/E/20/00007)केन्द्रीय जल आयोग के अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक A-49012/8/2020/RTI/07 दिनांक

06-01-2020 के द्वारा इस कार्यालय में 07-01-2020 को प्राप्त हुआ था । अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रसंख्या- A-49012/8/2020/RTI/07 दिनांक 06-01-2020की प्रति केन्द्रीय जल आयोग के 'नदी प्रबंध स्कन्ध' के केंद्रीय जन सूचना अधिकारि को भी प्रेषित की गई थी।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 पर गाइड वर्ष 2013 के भाग द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवेदन के स्थानांतरण के बिन्दु क्रमांक 18. के अनुसार "यदि कोई व्यक्ति किसी सूचना के लिए एक सार्वजनिक (केंद्रीय लोक प्राधिकरण) प्राधिकरण को आवेदन करता है जो किसी राज्य सरकार या संघ के अधीन लोक प्राधिकरण से संबन्धित है तो आवेदन प्राप्त करने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को आवेदक को सूचित करना चाहिए कि जानकारी संबंधित राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्राप्त की जाए। ऐसी स्थिति में आवेदन को राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।"

3. उपरोक्त आवेदन मे उल्लिखित विषयों से संबन्धित मामलों का रखरखाव / संचालन केन्द्रीय जल आयोग के 'जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध' में नहीं किया जाता है अत एव आवेदक को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पत्र संख्या **File No.I-12011/41/2019-WPP Coord/आई/14165/2020** दिनांक 08/01/2020 द्वारा 'निम्नानुसार उत्तर भेज गया था ।

" सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्थानांतरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 07-01-2020 को प्राप्त उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सूचना का विषय केन्द्रीय जल आयोग के जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध से संबन्धित नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं , शून्य है ।

साथ ही उन्हे उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि जल प्रदाय एवं प्रदाय किए जल गुणवत्ता बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है तथा उसके सम्बंध में निर्णय लेने या योजनाएँ बनाने का अधिकार राज्य का है ।आवेदक से अनुरोध है कि वे संबन्धित राज्य सरकार के मंत्रालय /विभाग से संपर्क करे।" (प्रतिलिपि संलग्न है)

4。 सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत यदि आवेदक जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह संबन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर पुनरावेदन कर सकता है । यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से अपीलकर्ता को रोका गया था, तो अपील को 30 के बाद स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06/02/2020 तक कि जानी थी।

5。 यह उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत एक नागरिक का अधिकार है कि वह लोक प्राधिकारी से, उसके पास या उसके अधिकार क्षेत्र में, उपलब्ध सूचनाए प्राप्त कर सकता है ।

इस नियम के अंतर्गत केवल वही सूचनाएँ प्रदान की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास या उसके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध हों

6. यद्यपि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि आवेदक के आवेदन में उल्लिखित विषयों से संबन्धित मामलों का रखरखाव/संचालन केन्द्रीय जल आयोग के 'जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध' में नहीं किया जाता है अत:जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा यथोचित उत्तर भेज दिया गया था एवं इस संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई परिवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

अतएव केन्द्रीय जल आयोग के जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन क्रमांक (CWCND/R/E/20/00007) दिनांक 04-01-2020 का निपटारा सूचना के अधिकार, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया गया है एवं इस संबंध में कोई परिवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं है,

निर्णय

उपरोक्त के आलोक में उल्लिखित प्रथम पुनरावेदन को निस्तारित किया जाता है ।

Asharwal

(ए0 एस0 गोयल)
मुख्य अभियंता (प0मू0सं0) एवं प्रथम अपील अधिकारी
सातवाँ तल (द0), सेवा भवन,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय, एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जल आयोजन एवं परियोजना स्कन्ध, केन्द्रीय जल आयोग, 202 (द0), सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 ।
2. अवर सचिव, स्थापना-VII एवं सूचना के अधिकार केनोडल अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 ।